राजस्थान सरकार
चिकित्सा शिक्षा (ग्रुप–1) विभाग

क्रमांक प. 1(195)डी.एम.ई./ग्रुप–1/2017 जयपुर, दिनांक 29 SEP 2017

आदेश

इस विभाग के आदेश कमांक प. 1(12)एम.ई./ग्रुप–1/1996 दिनांक 10.03.2017 के द्वारा डॉ0 नेहा सेठी (मेरिट क्रमांक 11) को वरिष्ठ प्रदर्शक, पैथोलोजी के पद पर नियुक्ति प्रदान करते हुए इनका पदस्थापन मेडिकल कॉलेज, अजमेर में किया गया था। डॉ. नेहा सेठी को आदेश जारी होने की दिनांक से चार सप्ताह के भीतर पदस्थापन स्थान पर अपनी उपस्थिति प्रस्तुत करनी थी।

डॉ. नेहा सेठी द्वारा निर्धारित समय में पदस्थापन स्थान पर उपस्थिति प्रस्तुत नहीं की गई है, और इस सम्बन्ध में इनके द्वारा ना तो इस विभाग को और ना ही पदस्थापन स्थान पर किसी प्रकार की कोई सूचना प्रस्तुत की गई है। उक्त वस्तुस्थिति से यह प्रतीत होता है कि डॉ. नेहा सेठी नियुक्ति पर कार्यग्रहण कर नियुक्ति प्राप्त करने की इच्छुक नहीं है।

डॉ. नेहा सेठी के द्वारा निर्धारित समय में पदस्थापन स्थान पर उपस्थिति प्रस्तुत नहीं करने के कारण इनका नियुक्ति आदेश निष्प्रभावी हो गया है।

अतः डॉ. नेहा सेठी के पक्ष में जारी उपरोक्त वर्णित नियुक्ति आदेश दिनांक 10.03.2017 को एतदद्वारा निरस्त किया जाता है।

आज्ञा से,

(रतन लाल)
शासन उप सचिव

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:–

1. निजी सचिव, शासन सचिव, चिकित्सा शिक्षा विभाग।
2. सचिव, राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर को इस विभाग के आदेश क्रमांक प. 1(12)एम.ई./ग्रुप–1/1996 दिनांक 10.03.2017 के संदर्भ में।
3. प्रधानाचार्य एवं नियंत्रक, मेडिकल कॉलेज, अजमेर।
4. डॉ0 नेहा सेठी पत्नी डॉ0 सौरभ गुप्ता, 217/7, मालवीय नगर, जयपुर –302017 (राज)। **(रजिस्टर्ड डाक से)**।
5. निजी पत्रावली/रक्षित पत्रावली।

(महेश व्यास)
शासन सहायक सचिव